

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2193
05.08.2024 को उत्तर के लिए

परिवेश पोर्टल के माध्यम से मंजूरी

2193. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) परिवेश पोर्टल के माध्यम से इसकी शुरुआत से अब तक कितनी मंजूरियां प्रदान की गई हैं;
- (ख) पोर्टल के माध्यम से मंजूरी प्रदान करने में लगने वाला औसत समय कितना है;
- (ग) क्या पोर्टल ने विभिन्न मंजूरियों में लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या पोर्टल का बढ़ा हुआ दायरा पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना के अनुसरण में और अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), वन्यजीव (डब्ल्यूएल) और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मंजूरी के लिए दिनांक 10.08.2018 को एक सिंगल विंडो पोर्टल "परिवेश (प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल-विंडो हब)" शुरू किया था। परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, अब तक 50,000 से अधिक मंजूरियाँ (ईसी, एफसी, डब्ल्यूएल और सीआरजेड) प्रदान की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीति और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यवाहियों के माध्यम से अनेक उपाय किए हैं ताकि अनावश्यक विलंब को कम किया जा सके और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कड़ाई से अनुपालन पर समझौता किए बिना मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। उपर्युक्त उपायों के कारण, पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से केंद्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने में लगने वाला औसत समय वर्ष 2023-2024 में 105 दिनों की निर्धारित समय-सीमा से काफी कम होकर दो अंकों में आ गया है। इसी तरह, 'सैद्धांतिक' पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने में लगने वाला औसत समय भी वर्ष 2023-24 में 150 दिन का रह गया है।

(घ) और (ङ) अगस्त, 2018 में शुरू किए गए परिवेश पोर्टल ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है और कोविड की कठिन अवधि के दौरान भी उद्योगों को निर्बाध सेवाएं प्रदान की हैं। हालाँकि, उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए, नई प्रौद्योगिकियों, जैसे जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस), अग्रिम डाटा विश्लेषण आदि पर आधारित नई कार्यविधियों को शामिल करके

परियोजना प्रस्तावों की जाँच करते समय पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रति उचित तत्परता और पालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा परिवेश पोर्टल का दायरा बढ़ाया गया है। विस्तारित दायरे में शामिल कुछ परिवर्तनकारी मॉड्यूल इस प्रकार हैं: नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल, जो आवश्यक मंजूरी की अनंतिम सूची प्रदान करता है और परियोजना के प्रस्तावक को परियोजना के क्रियान्वयन से पहले पर्यावरणीय संवेदनशीलता और योजना का सटीक आकलन करने में सहायता करता है; निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) एक स्थान-आधारित परिकल्पना और विश्लेषणात्मक मॉड्यूल है, जो परियोजना की समीप्यता की जाँच के लिए उपकरण प्रदान करता है और विशेषज्ञ समितियों तथा नियामक प्राधिकारियों को सभी संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से निर्णय लेने में सहायता करता है; सामान्य आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) और आवेदन प्रपत्र प्रबंधन मॉड्यूल, ताकि उपयोगकर्ताओं के बार-बार किए जाने वाले प्रयासों को न्यूनतम किया जा सके और साथ ही सभी उपयुक्त मंजूरीयों में सही जानकारी का एक ही संस्करण सुनिश्चित किया जा सके और अनुपालन प्रबंधन मॉड्यूल, ताकि उत्तरदायित्व के बोझ में कमी सुनिश्चित हो और व्यवसाय करने में आसानी हो। हालांकि, पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार ईआईए/ईएमपी के आधार पर किया जाता है, जिसकी विधिवत गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसीएस) द्वारा जांच की जाती है और अंतिम मंजूरी सामान्य और विशिष्ट शर्तों को शामिल करने के बाद ही दी जाती है ताकि पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
